

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :-75 / 2021-22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

संगीता तिडू

-

विक्रेता

दशकिर मुण्डाईन

-

क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

27.11.21 **आदेश**

आवेदक संगीता तिडू पिता श्री पियुस तिडू ग्राम-बान्दे, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने दशकिर मुण्डाईन पिता श्री सामु मुण्डा ग्राम-पीड़ीहातु, पो0-सोयको, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
ईट्टे	250	52	342	0.12

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 14970103 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 891 दिनांक 20.11.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 934/875 दिनांक 11.06.2015 से क्रय किया गया है। खतियानी रैयत का नाम हालु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार संगीता तिडू वगैरह के नाम भूमि का 5.79 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.79 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 6998.00(छः हजार नौ सौ अन्ठानब्बे)रु0 प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.67 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण संगीता तिडू पिता श्री पियुस तिडू को दशकिर मुण्डाईन पिता श्री सामु मुण्डा के साथ ग्राम ईट्टे के खाता सं0 52 खेसरा संख्या 342 कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6998.00(छः हजार नौ सौ अन्ठानब्बे)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

 23/11/21

